भारत सरकार

शक्षा मंत्रालय

स्कूल शक्षा और साक्षरता वभाग

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न सं.-**1341**

उत्तर देने की तारीख-**08.12.2025**

त्रिभाषा नीति

†1341. श्री जनार्दन संह सीग्रीवाल:

क्या शक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या देश में त्रिभाषा फार्मूले को समान रूप से लागू कया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या त्रिभाषा नीति के अंतर्गत हिन्दी या कसी अन्य भाषा को शा मल कए जाने का कोई वरोध हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय शक्षा नीति (एनईपी) 2020 में त्रिभाषा फार्मूले में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन कया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या छात्रों के शैक्ष णक कार्य-निष्पादन पर त्रिभाषा नीति के प्रभाव के संबंध में कोई आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन से शक्षकों की उपलब्धता और प्र शक्षण के संबंध में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं और यदि हां, तो उक्त मुद्दे के समाधान के लए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से **(ङ):** राष्ट्रीय शक्षा नीति (एनईपी) **2020** के पैरा **4.13** में प्रावधान है क संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों तथा संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा सूत्र का कर्यान्वयन जारी रहेगा। तथा प, त्रिभाषा सूत्र में अ धक लचीलापन होगा और कसी भी राज्य पर कोई भाषा अ धरो पत

नहीं की जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाएँ राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं वद्या र्थयों की पसंद होंगी, बशर्ते क इन तीन में से कम से कम दो भाषाएँ भारत की मूल भाषाएँ हों। वशेष रूप से, जो वद्यार्थी पढ़ रहे तीन भाषाओं में से कसी एक या अ धक भाषा को बदलना चाहते हैं, वे कक्षा **6** या **7** में ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते क माध्य मक स्तर की शक्षा के अंत तक वे तीन भाषाओं में (साहित्य स्तर पर भारत की एक भाषा सहित) मूलभूत दक्षता प्रद र्शत करने में सक्षम हों।

एनईपी **2020** के अनुसार, राष्ट्रीय शै क्षक अनुसंधान और प्र शक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने स्कूली शक्षा के लए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) **2023** तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न ल खत प्रावधान शा मल हैं:

- **i.** मूलभूत और प्रारं भक चरण में दो भाषाएँ - जिनमें से एक भारत की मूल भाषा है।
- **ii.** मध्य और माध्य मक चरण (कक्षा **9** और **10)** में तीन भाषाएँ - जिनमें से दो भारत की मूल भाषाएँ हैं।
- **iii.** माध्य मक चरण (कक्षा **11** और **12)** में दो भाषाएँ **-** जिनमें से एक भारत की मूल भाषा है।

एनईपी, **2020** के अनुच्छेद **4.12** में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है क चूं क शोध स्पष्ट रूप से दर्शाता है क बच्चे **2** से **8** वर्ष की आयु में भाषाओं को अत्यंत तेजी से सीखते हैं और बहुभाषावाद छोटे वद्या र्थयों के लए बड़ा संज्ञानात्मक लाभ प्रदान करता है, इस लए बच्चों को मूलभूत चरण से ही व भन्न भाषाओं (ले कन मातृभाषा पर वशेष बल देते हुए) से परि चत कराया जाएगा ।

राष्ट्रीय शक्षा नीति **2020** में आगे कहा गया है क सभी भाषाओं को मनोरंजक और संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा, जिसमें भरपूर सहभा गतापूर्ण संवाद होंगे, प्रारं भक वर्षों में मातृभाषा में प्रारं भक पठन और बाद में लेखन, तथा कक्षा **3** और उससे आगे अन्य भाषाओं में पठन और लेखन कौशल वक सत कए जाएंगे।

एनईपी **2020** के अनुवर्ती के रूप में, एनसीईआरटी द्वारा तैयार नई पाठ्यपुस्तकें सभी वषय क्षेत्रों में बहुभाषावाद परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करती हैं। इसके अतिरिक्त, एनसीईआरटी ने वषय क्षेत्रों की कक्षा **1, 2, 3** और **6** की पाठ्यपुस्तकों का **22** अनुसू चत भाषाओं में अनुवाद कया है। एनसीईआरटी ने **121** भाषाओं में प्राइमर भी तैयार कए हैं।

एनईपी, **2020** में यह भी प्रावधान है क देश भर की सभी क्षेत्रीय भाषाओं और वशेष रूप से,

भारत के सं वधान की आठवीं अनुसूची में उल्लि खत सभी भाषाओं में बड़ी संख्या में भाषा शक्षकों में निवेश करने के लए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से एक बड़ा प्रयास कया जाएगा। राज्य एक-दूसरे से बड़ी संख्या में शक्षकों को नियुक्त करने के लए, संबं धत राज्यों में त्रिभाषा सूत्र के पालन को सुनिश्चित करने के लए और देश भर में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लए द् वपक्षीय समझौते कर सकते हैं। व भन्न भाषाओं के शक्षण और अ धगम तथा भाषा अ धगम को लोक प्रय बनाने के लए प्रौद्यो गकी का व्यापक उपयोग कया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, चूं क शक्षा सं वधान की समवर्ती सूची के तहत एक वषय है, इस लए संबं धत राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारें एनईपी, **2020** की भावना और सफारिशों के अनुसार, त्रिभाषा नीति को लागू करने के तौर-तरीकों पर निर्णय ले सकती हैं। नीति बहुभाषावाद को बढ़ावा देने पर बल देती है और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय आवश्यकताओं, भाषाई व वधता और कार्यान्वयन व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए लचीले तरीके से त्रिभाषा सूत्र अपनाने के लए प्रोत्साहित करती है।

****